

राजस्थान सरकार  
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प. 6(2)शिक्षा/ग्रुप-3/2020

जयपुर, दिनांक 24 AUG 2020

संशोधित आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.08.2020 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा की अनुपालना में खोले गए 37 नये राजकीय महाविद्यालयों में अनिवार्य विषय पर्यावरण व कम्प्यूटर को सम्मिलित मानते हुए स्वीकृति आदेश जारी किए गए थे, के क्रम में निर्देशानुसार 37 नव सृजित महाविद्यालय दो वर्गों के साथ प्रारंभ किए जावें तथा वैकल्पिक विषयों में निम्नानुसार संशोधन कर संशोधित आदेश जारी किए जाते हैं-

क्र. सं.	जिला	नवीन राजकीय महाविद्यालय का नाम	पूर्व में आवंटित विषय	संशोधित विषय
1	अलवर	राजकीय महाविद्यालय रामगढ	लोक प्रशासन	अर्थशास्त्र
2	बीकानेर	राजकीय महाविद्यालय देशनोक	समाज शास्त्र	हिन्दी साहित्य
3	बाडमेर	राजकीय महाविद्यालय पाटीदी	समाज शास्त्र	उर्दू साहित्य
4	जयपुर	राजकीय महाविद्यालय कंवर नगर ब्रह्मपुरी	संस्कृत साहित्य	इतिहास
5	झुंझुनूं	राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा	समाज शास्त्र	इतिहास
6	जोधपुर	राजकीय महाविद्यालय लोहावट	लोक प्रशासन	संस्कृत साहित्य
7	सीकर	राजकीय महाविद्यालय लोसल	गृह विज्ञान	समाज शास्त्र
			अर्थशास्त्र	हिन्दी साहित्य

उक्त संबंध में निदेशालय नियमानुसार सम्पूर्ण आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. मोहम्मद नईम)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (आर.वी.), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (ध्यय-1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
9. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

एफ 20 (101 /) आयो / आकाशि / 2020 / 346

दिनांक 25.8.2020

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक, (एच आर डी / प्रशासन ) कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि पदस्थापन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।
13. संयुक्त निदेशक, (अकादमी) कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि प्रवेश संबन्धित की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
14. वेव प्रभारी कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
15. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान
16. रक्षित पत्रावली।

दीपाली भार्गव  
(डॉ. दीपाली भार्गव)  
संयुक्त निदेशक आयोजना